



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1943 (श10)

(सं० पटना 719) पटना, मंगलवार, 24 अगस्त 2021

सं० सा०प्र० 31/2010/154-वि०रा०अ०
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

संकल्प

23 अगस्त 2021

श्री रत्नेश कुमार, पुराभिलेखपाल के विरुद्ध बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना द्वारा उनकी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारी एवं लापरवाही संबंधी आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षापरांत श्री कुमार के स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 937, दिनांक 18.01.2021 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. प्राप्त विभागीय कार्यवाही प्रतिवेदन में श्री कुमार पर लगाए गये आरोप को प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोप पर श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गई। श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप-पत्र तथा उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री कुमार द्वारा अपने बचाव में तथ्यों पर आधारित अभिकथन नहीं दिया गया है। श्री कुमार के द्वारा अपने लिखित अभिकथन में संचालन पदाधिकारी के विरुद्ध दोषारोपण किया गया है। उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यवाही का संचालन अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है, किन्तु श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताया गया है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत आरोपी सरकारी सेवक को विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान सहयोग किये जाने का निदेश है। किन्तु श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन में पूर्णतया असहयोगात्मक व्यवहार किया गया है।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप अनुशासनहीनता से संबंधित है। उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के द्वारा समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। इसके आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। स्पष्टतः श्री कुमार का कृत्य अनुशासनहीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। इनका यह कृत्य बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री रत्नेश कुमार, पुराभिलेखपाल का लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निन्दन (वर्ष 2021-22) का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रत्नेश कुमार, पुराभिलेखपाल (निलंबित), क्षेत्रीय अभिलेखागार, भागलपुर (मुख्यालय) को निम्नलिखित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

1. निन्दन (वर्ष 2021-22)

2. श्री कुमार को निलम्बन से मुक्त करते हुए जिला अभिलेखागार, सारण (छपरा) में पुराभिलेखपाल के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उदय कुमार ठाकुर,
सहायक अभिलेख निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 719-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>